



राज्य शाही आजीविका मिशन, (एस०य०५त०४मा०) उ०प्र०

(राज्य नगरीय विकास अभिकरण— सूडा उ.प्र.)

7/23, सेक्टर-7, निकट य०पी० 100, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ 226010

E-mail:nulmup@gmail.com

website:www.sudaup.org



पत्रांक—3477/241/NULM/तीन/2001(SUH)SC-Vol-III

दिनांक—18/09/2018

मा० उच्चतम न्यायालय प्रकरण/अति महत्वपूर्ण

सेवा में,

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष

जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद—संत कबीर नगर

2. अधिशासी अधिकारी

न०पा०प०/न०प०
हरिहरपुर, खलीलाबाद, मगहर, एवं
मेहदावल, संत कबीर नगर।

विषयः— रिट याचिका सं०— 55/2003 एवं सम्बद्ध रिट याचिका सं०— 572/2003 ई०आ० कुमार व अन्य बनाम भारत गणराज्य व अन्य में पारित अन्तरिम आदेशों के अनुपालन में थर्ड पार्टी सर्वेक्षण में पाये गये शहरी बेघरों को आश्रय हेतु कार्ययोजना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।
महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सं०— 1863/241/NULM/तीन /2001 (SUH)SLMC दिनांक— 07.07.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से शहरी बेघरों के कराये गये थर्ड पार्टी सर्वेक्षण की प्राप्त अन्तरिम आख्या इस अनुरोध के साथ प्रेषित की गई है कि थर्ड पार्टी सर्वेक्षण में पाये गये शहरी बेघरों की संख्या के अनुक्रम में शहर में उपलब्ध आश्रय गृहों की क्षमता को घटाते हुए शेष शहरी बेघरों को आश्रय उपलब्ध कराये जाने हेतु भूमि का चिन्हीकरण कर सी०एण्ड डी०एस० उ०प्र० जल निगम के माध्यम से डी०पी०आ० तैयार कराकर तत्काल उपलब्ध करायी जाय, जो अद्यतन अप्राप्त है।

2. थर्ड पार्टी सर्वेक्षण (गिरी) में पाये गये शहरी बेघरों की संख्या एवं तत्काल में शहर/जनपद से प्राप्त शेल्टर होम की उपलब्धता की आख्या के अनुसार स्थिति निम्नवत है:-


निकाय का नाम	थर्ड पार्टी सर्वेक्षण में पाये गये शहरी बेघरों की संख्या	उपलब्ध आश्रय गृह एवं क्षमता				उपलब्ध कुल क्षमता	गैप (बेघरों की सं० जिसके लिए शेल्टर बनाया जाना है)	शेल्टर की आवश्यकता (50 की क्षमता)
		NON DAY-NULM	DAY-NULM	शेल्टर्स	क्षमता			
खलीलाबाद	63	0	0	1	50	50	13	-

3. उल्लेखनीय है कि मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा विगत दिनांक 07.09.2018 को प्रकरण में सुनवाई करते हुए शहर में रह रहे सभी बेघरों को आश्रय न उपलब्ध कराये जाने की स्थिति पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए तत्काल रोड मैप प्रस्तुत किये जाने के आदेश दिये गये हैं, जिसके अनुसार राज्य स्तर से संकलित शहरवार रोड मैप 15 अक्टूबर 2018 तक मा० उच्चतम न्यायालय में दाखिल किये जाने हेतु भारत सरकार को उपलब्ध कराया जाना है।

4. थर्ड पार्टी सर्वेक्षण में तालिका में उल्लिखित निकायों के अतिरिक्त नगरीय निकाय हरिहरपुर में 3, मगहर में 3 मेहदावल में 2 शहरी बेघर पाये गये हैं एवं खलीलाबाद में अतिरिक्त बचे हुए 13 शहरी बेघरों हेतु आश्रय की व्यवस्था निकाय द्वारा शहर में उपलब्ध सामुदायिक केन्द्र/अन्य अनुपयोगी सरकारी भवनों में अपने संसाधनों के माध्यम से व्यवस्था की जानी है तथा की जाने वाली व्यवस्था की विस्तृत सूचना/अस्थायी आश्रय गृहों की सूची इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जाये।

अतः मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 07.09.2018 के अनुपालन में आपसे अनुरोध है कि प्रस्ताव में उल्लिखित निकायों में थर्ड पार्टी सर्वेक्षण में पाये गये शहरी बेघरों को आश्रय उपलब्ध कराने एवं उपलब्ध कराये गये अस्थाई आश्रय गृहों की सूची इस कार्यालय को प्रत्येक दशा में दिनांक 30 सितम्बर 2018 तक उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक—यथोपरि।

भवदीय

(उमेश प्रताप सिंह)
मिशन निदेशक

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ०प्र० शासन।
2. संयुक्त सचिव/मिशन निदेशक DAY-NULM आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह अपने स्तर से भी सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. सी०पी०ओ०/परियोजना निदेशक, ढूड़ा संत कबीर नगर।
5. निदेशक सी०एण्ड डी०एस०, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह सम्बन्धित परियोजना प्रबंधक को शहरों/जनपदों से सम्पर्क कर डी०पी०आर० तैयार किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
6. परियोजना अधिकारी, ढूड़ा संत कबीर नगर को समन्वय कर तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु।
7. सहायक वेबमास्टर को सूडा की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

उमेश प्रताप सिंह
मिशन निदेशक